International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology (IJIRSET)

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 7.512|

||Volume 9, Issue 6, June 2020||

राजस्थानी औषधीय पौधे और उनका इस्तेमाल

डॉ. चन्द्र प्रकाश वर्मा

असिस्टेंट प्रोफेसर (भूगोल), हुकुम सिंह बोरा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय , सोमेश्वर, अल्मोड़ा, उत्तराखंड

सार

औषधीय पादपों के रूप में प्रकृति ने हमें अनमोल सम्पदा प्रदान की है। ज्यादातर औषधीय पौधे जंगली अवस्था में पाये जाते हैं। हमारे घर के आस-पास सड़क के किनारे अनेक पौधे ऐसे उगते हैं, जो औषधीय गुणों से युक्त होते हैं। आम शहरी व्यक्ति इनके गुणों से अनभिज्ञ होने के कारण इन्हें अनदेखा कर देते हैं। आदिवासी और ग्रामीण लोग इन्हें पहचानते हैं। वे पीढ़ी दर-पीढ़ी इस ज्ञान को संजोए हुए हैं और इसका उपयोग कर रहे हैं।

परिचय

कंटकारी/कंटेली/भटकटैया (सोलेनम जेन्थोकार्पम *Solanum xanthocarpum*): यह गहरे हरे रंग की छोटी काँटेदार झाड़ी है। गर्मियों के दिनों में यह खाली पड़ी हुई जमीन और सड़क के किनारे आसानी से नजर आ जाती है। इसकी पत्तियाँ लम्बी, किनारों से कटी हुई और दंतुर होती हैं। तना छोटा, हल्का हरा होता है। तना और पत्तियाँ रोमिल होते हैं। पत्तियों की शिराओं पर बड़े काँटे होते हैं। पुष्प नीलवर्ण, बैंगनी और संयुक्तदली होते हैं। फल गोलाकार 0.5 से 1 इंच व्यास के होते हैं और पकने पर पीले रंग के दिखाई देते हैं। यह उष्ण और शुष्क जलवायु का पौधा है और सम्पूर्ण भारत में पाया जाता है।

इसके औषधीय गुण इसमें उपस्थित ग्लूको-एल्केलॉइड और स्टीरॉल्स के कारण होते हैं। सम्पूर्ण पौधा औषधीय गुणों से युक्त है। पौधे का शुष्क चूर्ण अकेले या अन्य औषधियों के साथ अस्थमा, कफ और बुखार में प्रयुक्त किया जाता है इसकी उष्ण और तिक्त प्रकृति के कारण यह अस्थमा की शक्तिशाली औषधि है। पत्तियों का रस माइग्रेन होने पर नाक में डाला जाता है। फल कब्जनाशक है। इसकी जड़ दशमूलारिष्ट औषधि का अंग है।[1]

पीली कंटेली (आर्जीमोन मैक्सिकाना *Argemone mexicana*): यह शुष्क परिस्थितियों में उगने वाला काँटेदार एक वर्षीय शाक है तथा खरपतवार के रूप में कहीं भी उग जाता है। पौधा 1 मीटर तक लम्बा होता है। पर्ण काँटेदार होती है पौधे में पीले रंग का दूधिया पदार्थ लैटेक्स पाया जाता है। इसके बीज सरसों के बीजों जैसे दिखाई देते हैं। इसके औषधीय गुण इसमें उपस्थित एल्केलॉइड बर्बेरिन व प्रोटोपिन के कारण होते हैं इसका दूध एंटीबैक्टीरियल होता है और घाव जल्दी भरने में सहायक होता है। यह त्वचा रोगों में भी प्रयुक्त होता है। कुछ जनजातियाँ और ग्रामीणों द्वारा इसके दूध को परम्परागत रूप से मोतियाबिंद के उपचार में काम में लिया जाता है तथा बिच्छू के डंक मारने पर इसकी जड़ को घिस कर लगाया जाता है।इसकी जड़ का पाउडर एक उत्तम विरेचक है। बीज विषैले होते हैं। इन्हें मच्छर प्रतिकर्षी और कृषि में कृमिनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है।बीजों में उपस्थित तेल को आर्जीमोन तेल कहते हैं। इसकी मिलावट सरसों के तेल में भी की जाती है यह तेल गम्भीर स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं और ड्रॉप्सी रोग का कारण बनता है।

अजगंधा (क्लीओम विस्कोसा *Cleome viscosa*): यह एक वर्षीय शाकीय पौधा है। वर्षा ऋतु में यह पुष्पित व फलित होता है तथा सड़कों के किनारे फुटपाथ पर आसानी से नजर आ जाता है।पौधे की ऊँचाई लगभग 1 मीटर तक होती है पत्तियाँ 5 पालियों में बँटी होती है और रोमिल होती है पुष्प पीले रंग के होते हैं। पुंकेसर स्पष्ट व लम्बे होते हैं। फल, फली की तरह लम्बे, सम्पुटिका युक्त होते हैं।यह उष्ण कटिबन्धीय जलवायु का पौधा है और जंगली अवस्था में प्राकृतिक रूप में उगता है। पौधे में विशिष्ट गन्ध होती है। इसमें क्लीओमिन और विस्कोसिन एल्केलाइड पाये जाते हैं।

पत्तियाँ खाने योग्य व पौष्टिक होती हैं। इनका स्वाद कड़वा होता है, इसलिये अन्य सब्जियों के साथ मिलाकर आहार में शामिल की जा सकती हैं।जुकाम में पत्तियों की भाप लेने से लाभ होता है। खाँसी-जुकाम में पत्तियों का काढ़ा बनाकर लिया जाता है। घाव और विषैले कीट के काटने पर पत्तियाँ पीसकर लगाई जाती हैं। बवासीर रोग में पाइल्स को इसके बीजों के काढ़े से धोने पर उनकी सूजन खत्म हो जाती है। इसकी सब्जी गर्भवती महिलाओं के लिये एक पौष्टिक आहार है।

छोटी दूदी (यूफोर्बिया थाइमिफोलिया *Euphorbia thymifolia*): यह नन्हा-सा शाकीय पौधा नम स्थानों पर, दीवारों के सहारे उगता है। घर के बगीचे में घास के साथ देखा जा सकता है। पौधा श्यान होता है। पत्तियाँ गहरी हरी, छोटी अंडाकार और सम्मुख होती है। तना गोल पतला, कोमल और रक्ताभ होता है। पौधे से श्वेत दूधिया पदार्थ लैटेक्स पाया जाता है। यह एकवर्षी शाक है।जनजातियों और ग्रामीणों द्वारा इस पौधे को दूब के साथ पीसकर इसका रस गर्भाशय रोगों और श्वेतप्रदर के उपचार में प्रयोग में लिया जाता है। त्वचा रोग में इसकी पत्तियों को घिसकर लगाया जाता है। इसका रस का दस्त और पेचिस रोग में दिया जाता है। यह कृमिनाशी है। यह कफ और अस्थमा के लिये उत्तम औषधि है। यह एक एंटीवायरल औषधि भी है।[2]

वज्रदंती (बार्लेरिया प्रायोनाइटिस *Barleria prionitis*): यह शुष्क जलवायु का पौधा है यह जंगलों तथा चट्टानों सामूहिक रूप से वृद्धि करता है। इसको घरों और उद्यानों में भी शोभाकारी पौधे के रूप में उगाया जाता है।यह 1-1.5 मीटर ऊँचा होता है पत्तियों के आधार पर 3-5 तीक्ष्ण, हल्के पीले काँटे होते हैं। पुष्प कीपाकार, हल्के नारंगी-पीले होते हैं।सम्पूर्ण पौधा ही औषधीय गुणों से युक्त होता है। यह एंटीएलर्जिक, एंटीबायोटिक और एंटीवायरल है इसमें एल्केलॉइड, ग्लूकोसाइड और सिटो-स्टीरॉल्स पाये जाते हैं। पौधे में पोटैशियम प्रचुर मात्रा में होता है।पत्तियों और मूल का रस खाँसी, बुखार और अस्थमा में उपयोगी है। पत्तियों का रस त्वचा में संक्रमण होने पर प्रयोग में लिया जाता है। बाल झड़ने और सफेद होने की स्थिति में पत्तियों को पीसकर लगाया जाता है। पत्तियों और जड़ों का पाउडर दाँतों और मसूढ़ों के लिये उत्तम औषधि है।

खूबकला/जंगली सरसों (सिसिम्ब्रियम इरियो *Sisymbrium irio*): यह शाकीय पौधा है। यह लगभग 50-70 सेमी ऊँचाई तक पहुँच जाता है। पौधा सरसों के पौधे से मिलता-जुलता है। यह जंगली अवस्था में खरपतवार के रूप में उगता है। पत्तियों रॉकेट आकार की, किनारे से कटी होती हैं। यह शीत ऋतु के अन्त में पुष्पित होता है। पुष्प छोटे, पीले रंग के और चतुर्दली होते हैं।पौधे में गंधक के यौगिकों की उपस्थिति के कारण तीक्ष्ण गन्ध होती है। इसकी पत्तियाँ पौष्टिक और खाने योग्य होती हैं। बीज छोटे, नारंगी-भूरे रंग के, सरसों जैसे होते हैं। बीज औषधीय महत्त्व के हैं। इनमें फ्लेनोनॉइड, लिनोलिक और ऑलिक अम्ल भी पाये जाते हैं।बीजों का उपयोग इनकी उष्ण प्रकृति के कारण कफ और अस्थमा में किया जाता है। बुखार को कम करने और टाइफाइड ज्वर में भी इनका उपयोग किया जाता है। शरीर में लम्बे समय तक बने रहने वाले जीर्ण ज्वर में इसके बीजों को मुनक्का और पीपल के साथ पीसकर दिया जाता है।[3]

घृत कुमारी या अलोवेरा/एलोवेरा, जिसे क्वारगंदल या ग्वारपाठा के नाम से भी जाना जाता है, एक औषधीय पौधे के रूप में विख्यात है। इसकी उत्पत्ति संभवतः उत्तरी अफ्रीका में हुई है। यह प्रजाति विश्व के अन्य स्थानों पर स्वाभाविक रूप से नहीं पायी जाती पर इसके निकट संबंधी अलो उत्तरी अफ्रीका में पाये जाते हैं। इसे सभी सभ्यताओं ने एक औषधीय पौधे के रूप में मान्यता दी है और इस प्रजाति के पौधों का इस्तेमाल पहली शताब्दी ईसवी से औषधि के रूप में किया जा रहा है। इसका उल्लेख आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इसके अतिरिक्त इसका उल्लेख नए करार (*न्यू टेस्टामेंट*) में किया है लेकिन, यह स्पष्ट नहीं है कि बाइबल में वर्णित अलो और अलो वेरा में कोई संबंध है।

घृत कुमारी के अर्क का प्रयोग बड़े स्तर पर सौंदर्य प्रसाधन और वैकल्पिक औषधि उद्योग जैसे चिरयौवनकारी (त्वचा को युवा रखने वाली क्रीम), आरोग्यी या सुखदायक के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन घृत कुमारी के औषधीय प्रयोजनों के प्रभावों की पुष्टि के लिये बहुत कम ही वैज्ञानिक साक्ष्य मौजूद है और अक्सर एक अध्ययन दूसरे अध्ययन की काट करता प्रतीत होता है। इस सबके बावजूद, कुछ प्रारंभिक सबूत है कि घृत कुमारी मधुमेह के इलाज में काफी उपयोगी हो सकता है साथ ही यह मानव रक्त में लिपिड का स्तर काफी घटा देता है। माना जाता है ये सकारात्मक प्रभाव इसमे उपस्थिति मन्नास, एंथ्राक्युईनोनेज़ और लिक्टिन जैसे यौगिकों के कारण होता है। इसके अलावा मानव कल्याण संस्थान के निदेशक और सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारी डॉ॰गंगासिंह चौहान ने काजरी के रिटायर्ड वैज्ञानिक डॉ॰ए पी जैन के सहयोग से एलोविरा और मशरूम के कैप्सूल तैयार किए हैं, जो एड्स रोगियों के लिए बहुत लाभदायक हैं। यह रक्त शुद्धि भी करता है।[4]

विचार-विमर्श

राजस्थान वन विभाग की नर्सरी सैकड़ों और हजारों औषधीय पौधे विकसित कर रही हैं, जिन्हें जल्द ही राज्य सरकार की घर-घर औषधि योजना के तहत राज्य के निवासियों को उपहार में दिया जाएगा। मेगा योजना राज्य में रहने वाले सभी 1,26,50,000 परिवारों (जनगणना 2011 के अनुसार) तक पहुंचने की योजना बना रही है, जिससे उन्हें चार चयनित औषधीय जड़ी-बूटियों, तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ के घर ले जाने का अवसर मिलेगा।योजना की पांच साल की अवधि में, प्रत्येक परिवार 24 पौधे प्राप्त करने का हकदार होगा, जो पहले वर्ष में आठ पौधों से शुरू होता है, जो कि 30 करोड़ से अधिक पौधे होते हैं।मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा एक बजट घोषणा, बड़े पैमाने पर पौधा उपहार अभियान का उद्देश्य पौधों और लोगों के बीच लाभकारी संबंधों को मजबूत करना है।[4]

ये पौधे राजस्थान के मूल निवासी हैं और पारंपरिक रूप से स्वास्थ्य पूरक और हर्बल दवाओं में उपयोग किए जाते हैं। अभियान के तहत पौधों को उनके रखरखाव और उचित उपयोग के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी।राजस्थान वन एवं पर्यावरण विभाग की प्रमुख सचिव, श्रेया गुहा ने कहा, "राजस्थान जैव विविधता में समृद्ध है और कई औषधीय पौधों का घर है। राज्य सरकार की घर घर औषधि योजना इस प्राकृतिक संपदा के संरक्षण में मदद करेगी और लोगों को स्वास्थ्य के लिए जड़ी-बूटियों और पौधों के महत्व को समझने में मदद करेगी।" योजना को सफल बनाने में राज्य सरकार के कई विभाग योगदान दे रहे हैं। जबकि वन विभाग योजना के लिए नोडल विभाग है, जमीनी स्तर पर उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में उनके संबंधित जिला कलेक्टरों के अधीन जिला स्तरीय कार्यबल गठित किए गए हैं। इस योजना की निगरानी राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी।राज्य सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना के लिए 210 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से 31.4 करोड़ रुपये पहले वर्ष में राज्य के आधे घरों में 5 करोड़ से अधिक पौधे वितरित करने के लिए खर्च किए जाएंगे। अगले वर्ष शेष परिवारों में समान संख्या में पौधे वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक परिवार को एक बार में आठ पौधे, चार जड़ी-बूटियों में से प्रत्येक के दो पौधे प्राप्त होंगे। पांच वर्षों में प्रत्येक परिवार को कुल 24 पौधे प्राप्त होंगे। वितरण प्रक्रिया मानसून के मौसम से शुरू होने वाली है।

परिणाम

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में घोषणा की गयी कि "राजस्थान औषधीय पौधों की विविधता तथा गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। इसको बढ़ावा देने के लिए 'घर-घर औषधि योजना शुरू की जायेगी। जिसके अंतर्गत औषधीय पौधों की पौधशालायें विकसित कर तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा इत्यादि पौधे नर्सरी से उपलब्ध कराये जायेंगे।" उक्त घोषणा के अनुसरण में माननीय मंत्रीमंडल की आज्ञा 61 / 204 दिनांक 18.04.2021 द्वारा राज्य में औषधीय पौधों के संरक्षण एवं नागरिकों के स्वास्थ्य रक्षण हेतु घर-घर औषधि योजना के अंतर्गत औषधीय पौधों पौधशालायें विकसित कर तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा व कालमेघ के पौधे वन विभाग की पौधशालाओं में उपलब्ध कराये जाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी है। राजस्थान के वनों एवं वनों के बाहर हरियाली वाले क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की औषधीय प्रजातियों की उपलब्धता रही है, जिनका प्रयोग आदिकाल से आयुर्वेद तथा स्थानीय परम्परागत ज्ञान के अनुरूप स्वास्थ्य रक्षण एवं चिकित्सा के लिये होता आया है। वर्तमान परिस्थितियों में जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण एवं जीवन शैली में परिवर्तन जैसे कारणों से स्थानीय लोग अनेक ते प्रकार के रोगों से ग्रस्त होते रहते हैं। आयुर्वेद तथा स्थानीय परम्परागत ज्ञान व वर्गों में उपलब्ध औषधियों को लोगों के घरों, खेतों और निजी जमीनों के समीप उगाने हेतु सहायता करने से राजस्थान राज्य के निवासियों के स्वास्थ्य में सुधार करना इस योजना का मुख्य ध्येय है। इस योजना से राजस्थान में पाई जाने वाली वनौषधियों एवं औषधीय पौधों का संरक्षण भी होगा।[5]

a. राज्य में औषधीय पौधों को उगाने के इच्छुक परिवारों को स्वास्थ्य रक्षण हेतु बहु उपयोगी औषधीय पौधे वन विभाग की पौधाशालाओं में उपलब्ध कराया जाना।
b. मानव स्वास्थ्य रक्षण और व्याधिक्षमत्व (immunity) बढ़ाने तथा चिकित्सा हेतु बहु-उपयोगी औषधीय पौधों की उपयोगिता के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुये जन चेतना का विस्तार करना।
c. औषधीय पौधों के प्राथमिक उपयोग तथा संरक्षण-संवर्धन हेतु आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग के सहयोग से प्रमाण-आधारित जानकारी उपलब्ध कराना।
d. जिला प्रशासन व वन विभाग के नेतृत्व में माननीय जनप्रतिनिधियों, पंचायतीराज संस्थाओं, विभिन्न राजकीय विभागों व संस्थानों, विद्यालयों, और औद्योगिक घरानों इत्यादि का सहयोग लेकर जन अभियान के रूप में क्रियान्वित करना।

योजना के क्रियान्वयन हेतु वन विभाग नोडल विभाग होगा। योजना को एक जन अभियान के रूप में संचालित किया जायेगा।इस योजना के क्रियान्वयन हेतु वन विभाग में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख (PCCF HOFF) की अध्यक्षता में एक क्रियान्वयन समिति का गठन किया जाएगा।इस योजना के राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) / अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) होंगे।

योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन कर जिला प्रशासन के नेतृत्व में माननीय जन प्रतिनिधियों, पंचायतीराज संस्थाओं, विभिन्न राजकीय विभागों व संस्थानों, विद्यालयों और औद्योगिक घरानों इत्यादि का सहयोग लेकर बृहद् स्तर पर अभियान चलाया जायेगा। उप वन संरक्षक, जिला स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्य सचिव होंगे। जिले में योजना का क्रियान्वयन जिला स्तरीय कार्य योजना बनाए जाकर किया जाएगा। कार्य योजना में वितरणं स्थलों का चिन्हीकरण, वितरण व्यवस्था, विभिन्न विभागों से सहयोग प्राप्त करने की व्यवस्था, प्रचार प्रसार की रणनीति, वितरण व प्रचार प्रसार हेतु अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था, इत्यादि विषय सम्मिलित होंगे।

यह योजना 5 वर्षों (वर्ष 2021-22 से 2025-26) के लिये लागू की जावेगी ।

लक्ष्य

पांच वर्षों में राज्य के लगभग 1 करोड़ 26 लाख परिवारों (जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार) को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जायेगा। प्रत्येक परिवार को चार प्रकार की औषधीय प्रजातियों तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा एवं कालमेघ के दो दो पौधे अर्थात् कुल 8 पौधे थैलियों में इस वर्ष सहित कुल पांच वर्षों में तीन बार वन विभाग की पौधशालाओं से निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे। प्रथम वर्ष में जिले के आधे परिवारों में से प्रत्येक को 8 औषधीय पौधे उपलब्ध कराये जायेंगे तथा अगले वर्ष शेष परिवारों में से प्रत्येक को 8 औषधीय पौधे उपलब्ध कराये जायेंगे। यही प्रक्रिया चौथे व पांचवे वर्ष में दोहरायी जायेगी। तृतीय वर्ष में सभी परिवारों से संपर्क किया जायेगा तथा इन सभी परिवारों को 8 औषधीय पौधे उपलब्ध कराये जायेंगे। अर्थात् 5 वर्षों में 3 बार राज्य के सभी परिवारों को आठ-आठ औषधीय पौधे (कुल 24 पौधे उपलब्ध कराये जायेंगे।[6]

a. पौध तैयारी हेतु बीजों एवं पौधारोपण सामग्री की व्यवस्था वन मंडल द्वारा की जाकर वर्षा ऋतु तक पौधे तैयार किए जाएंगे। इस हेतु उप वन संरक्षक गणों को पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे।

b. वन विभाग द्वारा प्रथम वर्ष (2021-22) में जिलेवार पौधशालाओं में तैयार किये जाने वाले पौधों की संख्या परिशिष्ट 1 में संलग्न है।

a पौधे वन विभाग के पौधशालाओं व अन्य चिन्हित स्थलों जैसे चिकित्सालय व अन्य राजकीय कार्यालय पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
b. वितरण हेतु सीमित वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए वितरण स्थलों का चयन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी समिति द्वारा किया जाएगा।
c. पौध वितरण के समय लाभार्थी के जन आधार कार्ड अथवा आधार कार्ड की जानकारी प्राप्त कर अभिलेखों में संधारित की जाएगी। इससे योजना के प्रबोधन एवं मूल्यांकन में सहायता होगी। साथ ही अगले वर्ष जिन परिवारों को लाभ दिया जाना है उनका चिन्हींकरण आसान होगा।
d. पौधों के वितरण में माननीय जन-प्रतिनिधियों, पंचायतीराज संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, औद्योगिक घरानों एवं राजकीय विभागों का भी सहयोग प्राप्त किया जाएगा।

निष्कर्ष

वनों में उपलब्ध औषधियों को आयुर्वेद तथा स्थानीय परम्परागत ज्ञान के माध्यम से राजस्थान राज्य के निवासियों के स्वास्थ्य में सुधार करना इस योजना का मुख्य ध्येय है। अतः इस योजना के तहत एक वृहत आई.ई.सी. प्रोग्राम क्रियान्वित किया जावेगा।
a. वर्ष 2021-22 में राज्य भर में वन महोत्सव की थीम "घर-घर औषधि योजना रहेगी। राज्य के समस्त जिलों और वन मंडलों के अधीन सभी फ़ॉरेस्ट रेंज, तहसीलं, ग्राम पंचायतें तथा शहरी निकायों में माह जुलाई में वन महोत्सव मनाया जाएगा। माह जुलाई में प्रथम चरण में पौध-वितरण आरंभ किया जायेगा। पौध तैयारी पूरी होने के पश्चात् माह अक्टूबर से द्वितीय चरण का आरंभ किया जाएगा।
b. मुख्यालय स्तर पर निम्नलिखित विषयों पर जानकारी देने हेतु मार्गदर्शिका, पोस्टर एवं अन्य प्रचार सामग्री तैयार किए जाएंगे जो वितरण हेतु वन मंडलों को उपलब्ध कराए जाएंगे-
i. स्थानीय निवासियों को वन औषधियों एवं औषधीय पौधों के लाभ और प्रयोग आदि के बारे में जानकारी
ii. पौधों के सार संभाल की जानकारी[7]
c. प्रचार-प्रसार हेतु सोशल मीडिया सहित सभी माध्यमों का प्रयोग किया जायेगा। इस हेतु वन विभाग द्वारा एक राज्य व्यापी मीडिया प्लान बनाकर कार्यवाही की जायेगी।
d. राज्य, जिला, और ब्लाक स्तर पर संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। इस हेतु आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा नयर विभाग का सहयोग प्राप्त किया जायेगा।
e. जिला स्तर पर नवाचार के माध्यम से भी प्रचार प्रसार अभियान का क्रियान्वयन किया जा सकता है। जिला स्तरीय टास्क फोर्स इस संबंध में निर्णय लेने हेतु सक्षम होगी।
f. माननीय जनप्रतिनिधियों, पंचायतीराज संस्थाओं, विभिन्न राजकीय विभागों व संस्थानों, विद्यालयों, और औद्योगिक घरानों इत्यादि का इस जन अभियान में सहयोग लिया जायेगा।

राज्य सरकार द्वारा इस योजना हेतु रु 210 करोड़ स्वीकृत किया गया है। वर्ष 2021-22 के लिए रु 31.40 करोड़ का वित्तीय आवंटन किया गया है। वन मंडलों को अनुपातिक रूप से बजट आवंटित किया जाएगा। बजट का व्यय निम्न कार्यों पर किया

जायेगा-
a. लक्ष्य अनुसार पौधे एवं 10% अतिरिक्त पौधे तैयार करना
b. वितरण व प्रचार प्रसार
c. वन विभाग द्वारा प्रचार प्रसार हेतु राज्य स्तरीय मिडिया प्लान एवं प्रचार-प्रसार सामग्री

योजना के क्रियान्वयन हेतु वन विभाग नोडल विभाग होगा। जिन अन्य विभागों का सहयोग इस योजना के क्रियान्वयन में लिया जायेगा उनकी सूची परिशिष्ट 2 पर उपलब्ध है। योजना की सफलता के लिये योजना का प्रबोधन एवं मूल्यांकन निम्नानुसार किया जायेगाः

a. राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, राजस्थान की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय प्रबोधन समिति का गठन किया जायेगा। इसमें संबंधित राजकीय विभागों के प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव सदस्य होंगे। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) / अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) समिति के सदस्य सचिव होंगे। सभी संभागीय मुख्य वन संरक्षक भी समिति के सदस्य होंगे। मुख्य सचिव, राजस्थान की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति कम से कम तीन माह में एक बार योजना की समीक्षा करेगी।

b. जिला स्तर पर जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा पौध वितरण का प्रबोधन किया जाएगा तथा इस हेतु विभिन्न विभागों का सहयोग लिया जाएगा।

c. इस योजना हेतु वन विभाग द्वारा उपयुक्त प्रबोधन एवं मूल्यांकन तंत्र स्थापित किया जायेगा। इस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रबोधन एवं मूल्यांकन) / अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रबोधन एवं मूल्यांकन प्रभारी होंगे।[7]

संदर्भ

1) Pharmaceutical company profiles at NNDB.
2) International Conference on Harmonisation.
3) US Pharmacopeia.
4) International Union of Basic and Clinical Pharmacology.
5) IUPHAR Committee on Receptor Nomenclature and Drug Classification.
6) "Drug Definition". Stedman's Medical Dictionary. मूल से 2014-05-02 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2014-05-01 – वाया Drugs.com.
7) ↑ Atanasov AG, Waltenberger B, Pferschy-Wenzig EM, Linder T, Wawrosch C, Uhrin P, Temml V, Wang L, Schwaiger S, Heiss EH, Rollinger JM, Schuster D, Breuss JM, Bochkov V, Mihovilovic MD, Kopp B, Bauer R, Dirsch VM, Stuppner H (December 2015). "Discovery and resupply of pharmacologically active plant-derived natural products: A review". Biotechnol Adv. **33** (8): 1582–614. PMC 4748402. PMID 26281720. डीओआइ:10.1016/j.biotechadv.2015.08.001.